न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा

पत्रावली संख्या : 17 / 2025 (अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

उनवान

श्री रेवडीलाल मालव पूर्व सदस्य वार्ड न.10 ग्राम पंचायत रेलगांव प0स0 सुल्तानपुर,जिला कोटा

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांक: 5/12/2025

1– अपीलार्थी श्री रेवडीलाल मालव पूर्व सदस्य वार्ड न.10 ग्राम पंचायत रेलगांव प0स0 सुल्तानपुर,जिला कोटा द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस बाबत् प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 4.10.2025 को लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दीगोद के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से बिन्दु संख्या 01 लगायत 3 की की जरूरी सुचनाए जनहित में चाही गई थी जो प्राप्त नही हुई है। अतः चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

2– अपीलार्थी की अपील पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दीगोद जिला कोटा से टिप्पणी / जवाब हेतु उन्हें पत्रांकः रीडर / एडीएम / 2025 / 594 दिनांक 14.11.2025, से लिखा गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दीगोद द्वारा अपने पत्रांक / आरटीआई / 2025 / 13 दिनाक 27.11..2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी को भी न्यायालय द्वारा प्रस्तुत इस अपील में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिऐ सूचना पत्र कमांक 595 दिनांक 14.11.2025 भिजवाया गया,। अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही हुए।

3.– पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट / टिप्पणी मे अंकित किया है कि अपीलार्थी को उक्त सूचना कार्यालय के पत्रांक / एलआर / 2025 / 10 दिनांक 17.11.2025 से पूर्व मे भेजी जा चुकी है साथ आवेदक को दूरभाष से सम्पर्क करके अवगत भी करवाया जा चुका है।

अति० जिला कलक्टर
कोटा

पत्रावली में अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एव तहसीलदार दीगोद द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दीगोद को भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एंव प्रथम अपीलीय
अधिकारी कोटा,जिला
कोटा